

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमठल रेजीडेंसी क्षेत्र

फोन 0141-2228632, फैक्स 0141-2228631 E-mail : sjerajasthan@yahoo.co.in

क्रमांक- एफ 11(164) देव.यो./विपिव.उ.मै.छा./बजट/सान्याअवि/10/ 17661-93 दिनांक- 4/3/2011

उप निदेशक/सहायक निदेशक/  
जिला परिवीक्षण एवं समाज कल्याण अधिकारी,  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

विषय :- देवनारायण योजनान्तर्गत विशेष पिछडा वर्ग हेतु अनुप्रति योजना में नवीन बजट मद में व्यय करने बाबत।

सन्दर्भ :- इस कार्यालय के बजट आवंटन पत्रांक 65958-90 दिनांक 02.12.10 एवं 11295-97 दिनांक 15.02.11

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्रों के द्वारा आपके कार्यालय को निम्न बजट मद में बजट आवंटन करते हुए नवीन बजट शीर्ष स्वीकृत होने से पूर्व तक व्यय करने की अनुमति/स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

मांग संख्या - 33

2225 अनु.जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गों का कल्याण

02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

277 शिक्षा

(09) अनुप्रति योजनान्तर्गत सहायता

12 सहायतार्थ अनुदान (राज्य आयोजना मद)

वित्त (व्यय-II) विभाग की अर्न्तविभागीय डायरी संख्या 161100108 दिनांक 21.02.11 के द्वारा विशेष पिछडा वर्ग हेतु अनुप्रति योजना हेतु संशोधित अनुमानों में नवीन बजट मद में प्रावधान की सहमति प्रदान की गई है, अतः निर्देशित किया जाता है कि अब विशेष पिछडा वर्ग हेतु अनुप्रति योजना हेतु पूर्व में आवंटित राशि का निम्न बजट मद में व्यय किया जावे :-

मांग संख्या - 33

2225 अनु.जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गों का कल्याण

03 अन्य पिछडे वर्गों का कल्याण

800- अन्य व्यय

(05) देवनारायण योजना (सा.न्या.अ.विभाग के माध्यम से)

[05] विशेष पिछडे वर्ग के लिये अनुप्रति योजना

12 सहायतार्थ अनुदान

विशेष पिछडा वर्ग अनुप्रति योजना में व्यय करने से पूर्व निम्न निर्देशों का पालन करते हुए निम्न प्रपत्र में आधिक्य व्यय/बचत मानचित्र की जिलेवार सूचना दिनांक 15.03.2011 सूचना फेक्स/ई-मेल एवं दूरभाष पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

क्र.सं.	जिले का नाम	संशोधित बजट प्रावधान	13.3.11 तक व्यय	14.3.11 से 31.3.11 तक संभावित व्यय	वित्तीय वर्ष में कुल संभावित व्यय	संभावित बचत (-)(3-5)	संभावित अधिक व्यय (+)(5-3)
1	2	3	4	5	6	7	8


आधिक्य/बचत विवरण प्रपत्र भिजवाते समय सुनिश्चित करें कि 31.03.11 तक जो संभावित व्यय दर्शाया जाना है, वह वास्तविक व्यय के करीब है।

1. आवंटित राशि का शत-प्रतिशत उपयोग किया जाना सुनिश्चित करावें तथा सक्षम स्वीकृति के बिना किसी भी परिस्थिति में आवंटन से अधिक व्यय नहीं किया जावे। आवंटन से अधिक व्यय करने पर पढ़ने वाले विपरित प्रभाव के लिए आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
2. संशोधित अनुमानों में नवीन लेखाशीर्ष के अन्तर्गत रखे गये बजट प्रावधानों को राज्य विधानसभा से अनुपूर्व अनुदान पारित होने पूर्व व्यय नहीं किया जावे।
3. निर्धारित दिनांक तक आधिक्य/बचत की सूचना प्राप्त नहीं होने पर आधिक्य/बचत शून्य मानते हुए सूचना वित्त विभाग को प्रेषित कर दी जायेगी तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर आवंटित बजट राशि के अधिक/कम व्यय के लिए सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
4. पूर्व बजट आवंटन पत्र के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्रों में सूचना समय पर प्रेषित कराने का श्रम करावें।

  
आयुक्त

क्रमांक:- एफ 11(164) देव.यो./विपिव उ.मै.छा./सान्याअवि/10/17694-7383 दिनांक:- 4/3/2011  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव महोदय, उच्च शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
4. कोषाधिकारी, ..... को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार नवीन बजट मद में ही बिल पारित करना सुनिश्चित करावें।
5. मुख्य लेखाधिकारी/संयुक्त निदेशक (योजना), मुख्यावास।
6. लेखाकार (बजट)/अंक मिलान, मुख्यावास।

 विभागीय लेखा राशि व (अंक) मिलान  
संयुक्त निदेशक (देव.यो.)